न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 05/2012 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2012/00097

उनवान

1. विजय सिंह
2. कल्याण सिंह

पुत्रगण श्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कंचनपुरा अति0 तहसील सरमथुरा तहसील बसेडी। .....अपीलाण्ट

बनाम

1. मु0 अतरो विधवा नहने
2. दिनेश
3. मोहन
4. प्रकाश

पुत्रगण नहने जाति कहार निवासी ग्राम कोटा अति0 तहसील सरमथुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 26.03.2018 प्रकरण संख्या 65/17 उनवान शकुन्तला वनाम उदय सिंह न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर।

उपस्थित :–

1. श्री दिलीप शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट ।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :–25.11.2021

यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी बसेडी के निर्णय दिनांक 30.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी के संबंध में एक वाद वउनवानी भरोसी बनाम अतरो वगै0 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुआ जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 सहखातेदार होने के कारण पक्षकार मुकदमा थे। उक्त वाद बंटवारा बाबत् प्रस्तुत हुआ जो अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 29.03.2005 को अंतिम डिक्री कर दिया गया तथा पक्षकारान के खाते राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक कर दिये गये जिसमें विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 4 के हिस्से में आई उसका अमल जरिये इंतकाल नं0 640 से कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 4 ने खसरा नम्बर 570/1, 570/2, 1036, 1037, 1040 स्थित ग्राम कोटा अति0 तहसील ग्राम कोटा में अपने हिस्से 1/5 का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.07.2005 को वहिस्सा बराबर वादीगण के पक्ष में कर दिया तथा ग्राम वसंत पुरा की आराजी खसरा नम्बर 760, 772, 773, 776, 745/1330 में से अपने 1/10 हिस्से का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.07.2005 को वहिस्सा बराबर कर दिया। अतः वादीगण विक्रय की तिथि से अन्य सहखातेदारो के साथ विवादित आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज हुये। वादीगण को उपरोक्त वाद भरोसी बनाम अतरो के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 25.04.2010 को वादीगण अपने हिस्से की फसल को कटवा रहे थे तब प्रतिवादीगण ने खाता अपने नाम होने की धमकी दी तब जाकर वादीगण ने राजस्व रिकार्ड की नकल ली व वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन

आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नहीं आये। अतः बहस अपीलांट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का सही रूप से विवेचन नहीं किये जाने से फैसला व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय काबिले खारिज है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादीगण अपीलाण्ट डिक्री तो कर दिया। परन्तु यह प्रयत्न नहीं किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान रैस्पो0 के हिस्से में आये हैं या नहीं अथवा वाद पत्र किन खसरा नम्बरान के बाबत् प्रस्तुत किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा अपना वाद पत्र दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 570/2, 1036, 1037 स्थित ग्राम कोटा है व इन्हीं खसरा नम्बरान के खातेदारी अधिकारो की घोषणा के बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया था व इन्हीं खसरा नम्बरान को रैस्पो0 के हिस्से में पूर्व वाद भरोसी बनाम अतरो में बंटवारा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया था। रैस्पो0 द्वारा सम्पूर्ण हिस्से का वयनामा अपीलाण्ट के हक में कराया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कयासो पर आधारित व विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरीत होने से लायक खारिजी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अपीलाण्ट का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायाल में दावा, विवादित आराजी खसरा नम्बर 570/2 रकवा 01 बीघा, 1036 रकवा 04 विस्वा, 1037 रकवा 08 विस्वा को रैस्पो0 से जरिये वयनामा क्रय करना बताते हुये, स्वयं को उक्त खसरा नम्बरो पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है। हमने पत्रावली पर उपलब्ध वयनामा का अवलोकन किया। रैस्पो0 द्वारा विवादित आराजी में निहित अपने 1/5 हिस्से का विक्रय अपीलाण्ट को किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलाधीन आदेश से उक्त विवादित आराजी के 1/5 हिस्से पर वादीगण अपीलाण्ट को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। अतः वर्तमान में अपीलाण्ट हस्तगत अपील से क्या अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं, स्पष्ट नहीं किया है। अतः हम अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज योग्य समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2011 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/11/2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **कैम्प धौलपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–05/2012 (223 आर.टी.एक्ट.)

1. विजयसिंह
2. कल्याणसिंह

} पुत्रगण श्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कंचनपुरा अति0 तहसील सरमथुरा तहसील बसेडी।

..............अपीलांट।

बनाम

1. मु0 अतरो विधवा नहने
2. दिनेश
3. मोहन
4. प्रकाश

} पुत्रगण नहने (2–4)

} जाति कहार निवासी ग्राम कोटा अति0 तहसील सरमथुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर। (1–4)

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी

.... रेस्पोडेंट।

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा दिनांक 26.03.2018 प्रकरण संख्या 65/2017 उनवान शकुन्तला बनाम उदयसिंह।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह राणा अभिभाषक अपीलांट मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अभिभाषक श्री श्रीगोपाल शर्मा मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,बसेडी के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2011 यथावत रखे जाते है।**

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........25...........माह.........11........सन्..........2021.........को जारी की गई।

मुहर

(मुहर: ... भरतपुर ... कैम्प–धौलपुर)

दस्तखत.................................. (हस्ताक्षर) ... पदेन

औहदा......... ... अपील प्राधिकारी ... भरतपुर कैम्प–धौलपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान					
			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।